

OFFICE OF THE DIRECTOR


Uttarakhand & West UP  
Geo-Spatial Data Centre

17, E.C. Road Dehradun

FAX : 0135- 2656402

E-mail :  
ukgdc.ddn.soi@gov.in

भारतीय सर्वेक्षण विभाग  
SURVEY OF INDIA



निदेशक का कार्यालय  
उत्तराखण्ड एवं पश्चिमी उ० प्र०  
भू-स्थानिक ऑकडा केन्द्र  
17, ई.सी. रोड, देहरादून

फैक्स : 0135- 2656402

**उत्तराखण्ड एवं पश्चिमी उ० प्र० भू-स्थानिक ऑकडा केन्द्र, देहरादून का नेमी आदेश**  
**संख्या:प्रशा:- 02 /37-जी-9 दिनांक 26 फरवरी 2020**

1. भारतीय सर्वेक्षण विभाग में कार्यरत डिविजन-11 एवं डिविजन-1 ( डिविजन - 11 से पदोन्नत) कर्मचारी को द्वितीय एम.ए.सी.पी. का लाभ प्रदान करने के सम्बन्ध में ।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं. ए-11019/1/2008-सी.डी.एन.दिनांक 08.06.2009 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं.-35034/3/2008-स्थापना (डी) दिनांक 19.05.2009 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में भारतीय सर्वेक्षण विभाग में ग्रुप 'बी' (अराजपत्रित) कर्मचारी {डिविजन-1 (डिविजन 11 से पदोन्नत)} को उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई तिथि से वेतन मैट्रिक्स के लेवल 07 में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिये एम.ए.सी.पी. योजना के तहत द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम श्री/श्रीमती	पद	द्वितीय एम.ए.सी.पी. के लाभ की तिथि
1	संजय कुमार यादव	सर्वेक्षण सहायक	01.01.2019

2. एम.ए.सी.पी. योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति पर उक्त कर्मचारी को नये वेतनमान में वेतन निर्धारित करने के लिये एफ.आर.22 (1) (क) (1) के तहत विकल्प देना होगा।

3. उपरोक्त कर्मचारी का वेतन का निर्धारण सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा तथा अतिरिक्त सन्निहत व्यय इस केन्द्र के वर्ष 2019-20 के बजट अनुदान से पूरा किया जायेगा तथा उपर्युक्त लेखा शीर्ष के नामें डाला जायेगा।

( प्राधिकार:-भारत के महासर्वेक्षक का पत्र सं. सी- 331/1902-एम.ए.सी.पी. (उत्तराखण्ड एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश जी.डी.सी.) दिनांक 21/22.01.2020

2. भारतीय सर्वेक्षण विभाग में कार्यरत डिविजन-11 एवं डिविजन-1 ( डिविजन - 11 से पदोन्नत) कर्मचारी को तृतीय एम.ए.सी.पी. का लाभ प्रदान करने के सम्बन्ध में ।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं. ए-11019/1/2008-सी.डी.एन.दिनांक 08.06.2009 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं.-35034/3/2008-स्थापना (डी) दिनांक 19.05.2009 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में भारतीय सर्वेक्षण विभाग में ग्रुप 'सी' कर्मचारी {डिविजन-1 (ग्रुप 'डी' से पदोन्नत)} को उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई तिथि से वेतन मैट्रिक्स के लेवल 07 में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिये एम.ए.सी.पी. योजना के तहत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम श्री/श्रीमती	पद	तृतीय एम.ए.सी.पी. के लाभ की तिथि
1	गिरजा प्रसाद तिवारी	सर्वेक्षण सहायक	01.01.2020

2. एम.ए.सी.पी.योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति पर उक्त कर्मचारी को नये वेतनमान में वेतन निर्धारित करने के लिये एफ.आर.22 (1) (क) (1) के तहत विकल्प देना होगा।

3. उपरोक्त कर्मचारी का वेतन का निर्धारण सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा तथा अतिरिक्त सन्निहत व्यय इस केन्द्र के वर्ष 2019-20 के बजट अनुदान से पूरा किया जायेगा तथा उपर्युक्त लेखा शीर्ष के नामें डाला जायेगा।

( प्राधिकार:-भारत के महासर्वेक्षक का पत्र सं. सी- 326/1902-एम.ए.सी.पी. (उत्तराखण्ड एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश जी.डी.सी.) दिनांक 21/22.01.2020

3. भारतीय सर्वेक्षण विभाग में कार्यरत डिविजन-11 एवं डिविजन-1 ( डिविजन - 11 से पदोन्नत) कर्मचारी को तृतीय एम.ए.सी.पी. का लाभ प्रदान करने के सम्बन्ध में ।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं. ए-11019/1/2008-सी.डी.एन.दिनांक 08.06.2009 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं.-35034/3/2008-स्थापना (डी) दिनांक 19.05.2009 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में भारतीय सर्वेक्षण विभाग में ग्रुप 'बी' (अराजपत्रित) कर्मचारी {डिविजन-1 (डिविजन 11 से पदोन्नत)} को उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई तिथि से वेतन मैट्रिक्स के लेवल 08 में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिये एम.ए.सी.पी. योजना के तहत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम श्री/श्रीमती	पद	तृतीय एम.ए.सी.पी. के लाभ की तिथि
1	मंगल सिंह तोमर	भण्डार सहायक	01.01.2019

2. एम.ए.सी.पी.योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति पर उक्त कर्मचारी को नये वेतनमान में वेतन निर्धारित करने के लिये एफ.आर.22 (1) (क) (1) के तहत विकल्प देना होगा।

3. उपरोक्त कर्मचारी का वेतन का निर्धारण सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा तथा अतिरिक्त सन्निहत व्यय इस केन्द्र के वर्ष 2019-20 के बजट अनुदान से पूरा किया जायेगा तथा उपर्युक्त लेखा शीर्ष के नामें डाला जायेगा।

( प्राधिकार:-भारत के महासर्वेक्षक का पत्र सं. सी- 321/1902-एम.ए.सी.पी. (उत्तराखण्ड एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश जी.डी.सी.) दिनांक 21/22.01.2020

4. एम.ए.सी.पी योजना के अन्तर्गत एम.टी.एस कार्मिकों को वित्तीय उन्नयन प्रदान करने के संबंध में ।

इस केन्द्र के निम्नलिखित एम.टी.एस कर्मचारियों को उनके नाम के सामने दर्शाये गये विवरणानुसार पी.बी.-1 रु 5200-20200 लेवल 3 व 4 में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए एम.ए.सी.पी योजना के तहत द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है । :-

क्र. सं.	नाम व पदनाम श्री/श्रीमती	वित्तीय उन्नयन	वित्तीय उन्नयन पर ग्रेड वेतन/लेवल	वित्तीय उन्नयन के लाभ की तिथि
1.	सुदामा देवी एम.टी.एस (खलासी)	द्वितीय	PB-1 5200-20200 GP RS. 2000 (Level 3)	01.04.2020
2.	मुन्नी राम, एम.टी.एस (खलासी)	तृतीय	PB-1 5200-20200 GP RS. 2400 (Level 4)	01.03.2019
3.	राम सहाय एम.टी.एस (खलासी)	तृतीय	PB-1 5200-20200 GP RS. 2400 (Level 4)	01.02.2019
4.	गंगा राम एम.टी.एस (खलासी)	तृतीय	PB-1 5200-20200 GP RS. 2400 (Level 4)	17.05.2020

2.एम.ए.सी.पी. योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति पर उक्त कार्मिकों को नये वेतनमान में वेतन निर्धारित करने के लिये एफ.आर.22 (1) (क) (1) के तहत विकल्प देना होगा।

3. उपरोक्त कामिको का वेतन का निर्धारण सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा तथा अतिरिक्त सन्निहत व्यय वर्ष 2019-20 के बजट अनुदान से पूरा किया जायेगा तथा उपर्युक्त लेखा शीर्ष के नामे डाला जायेगा।

( प्राधिकार:- अपर महासर्वेक्षक,उत्तरी क्षेत्र, चण्डीगढ का पत्रांक सी-31/14-सी-1/डी.एस.सी /एम.ए. सी. पी.दिनांक 19.02.2020 )

5.प्रशासन को मजबूत बनाना:-

इस केन्द्र के निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके द्वारा 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने अथवा 30 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने पर सरकारी सेवा में बने रहना स्वीकार कर लिया है :-


1. श्री जगमोहन सिंह, मानचित्रकार डिव-1 - 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर
2. श्रीमती नीलम चौधरी, मानचित्रकार डिव-1 - 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर

प्राधिकार:-

1. अपर महासर्वेक्षक,उत्तरी क्षेत्र, चण्डीगढ का पत्र सं0-सी 18/18-ए-5 दिनांक 28.01.2020
2. अपर महासर्वेक्षक,उत्तरी क्षेत्र, चण्डीगढ का पत्र सं0-प्रशा.24/18-ए-5 दिनांक 05.02.2020

6. सेवानिवृत्त :- इस केन्द्र से निम्नलिखित अधिकारी/ कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए ।

1. श्री शान्ति प्रसाद, अधिकारी सर्वेक्षक दिनांक 31.01.2020
2. श्रीमती तजेन्द्र पाल कौर, मानचित्रकार डिवि-1 दिनांक 31.01.2020

  
( आर.के. मीणा )  
निदेशक

वितरण (ई मेल द्वारा) :-

1. भारत के महासर्वेक्षक को सूचनार्थ।
2. अपर महासर्वेक्षक :- पूर्वी क्षेत्र,कोलकाता/पूर्वोत्तर क्षेत्र,शिलांग/मध्य क्षेत्र,जबलपुर/उत्तरी क्षेत्र,चण्डीगढ़/दक्षिणी क्षेत्र बंगलोर/पश्चिमी क्षेत्र,जयपुर/विशिष्ट क्षेत्र,देहरादून/ मुद्रण क्षेत्र, हैदराबाद भारतीय सर्वेक्षण प्रशिक्षण एवं मानचित्रण संस्थान (एस.टी.आई.), हैदराबाद।
3. अपर महासर्वेक्षक /निदेशक :- पंजाब, हरियाणा और चण्डीगढ़ जी.डी.सी./जम्मू व कश्मीर जी.डी.सी जम्मू/हिमाचल प्रदेश जी.डी.सी.चण्डीगढ़/असम व नागालैण्ड जी.डी.सी,गुवाहाटी/ मेघालय व अरुणाचल प्रदेश जी.डी.सी,शिलांग/ त्रिपुरा, मणिपुर व मिज़ोरम जी.डी.सी,सिलचर/ बिहार जी.डी.सी,पटना/ पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम जी.डी.सी कोलकाता/ तमिलनाडु, पांडिचेरी और अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह जी.डी.सी,चेन्नई/उड़ीसा जी.डी.सी,भुवनेश्वर/झारखण्ड जी.डी.सी,रांची/छत्तीसगढ़ जी.डी.सी,रायपुर/गुजरात, दमन एवं दिव जी.डी.सी, गांधी नगर/महाराष्ट्र एवं गोवा,जी.डी.सी (हैदराबाद विंग)/ महाराष्ट्र एवं गोवा,जी.डी.सी,पुणे/ कर्नाटक,जी.डी.सी,बैंगलोर/ केरल और लक्षद्वीप,जी.डी.सी तिरुवनन्तपुरम/ सर्वेक्षण (हवाई) और दिल्ली,जी.डी.सी,दिल्ली/ अन्तर्राष्ट्रीय सीमा निदेशालय,दिल्ली/ दिल्ली राज्य भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र अवसंरचना/ राष्ट्रीय जी.डी.सी,देहरादून/ मानचित्र अभिलेख एवं प्रचार केन्द्र,देहरादून/ उत्तरी मुद्रण वर्ग,देहरादून/ पूर्वी मुद्रण वर्ग,कोलकाता/ मध्य प्रदेश जी.डी.सी,जबलपुर/ राजस्थान जी.डी.सी,जयपुर/ पूर्वी उत्तर प्रदेश जी.डी.सी,लखनऊ/ आन्ध्र प्रदेश जी.डी.सी,हैदराबाद/ पश्चिमी मुद्रण वर्ग,दिल्ली/ दक्षिणी मुद्रण वर्ग, हैदराबाद/ भौगोलिक सूचना पद्धति और सुदूर सम्बेदन निदेशालय,हैदराबाद/ ज्योडीय एवं अनुसंधान शाखा देहरादून, अंकीय मानचित्रण केन्द्र देहरादून।
4. केन्द्रीय वेतन एवं लेखा अधिकारी, देहरादून।
5. लेखा अनुभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
6. 14-सी-1 एम.ए.सी.पी डिविजन-11/ग्रुप 'डी'/ 18-ए-5/गार्ड फाईल।
7. भारतीय सर्वेक्षण विभाग की वेबसाईट।